



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 नवम्बर 2024—कार्तिक 15, शक 1946

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2024

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2021-1292.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपति ने धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन), (चार), (पांच) एवं (छः) के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 03 वर्ष की कालावधि के लिये सदस्य नामांकित किया है:—

1. धारा 25 (1) (तीन) के अंतर्गत कृषि / शोध शिक्षा से जुड़े दो प्रख्यात व्यक्ति :—

1. श्री राजेश गुप्ता
पता—2382, राईट टाउन,
जिला जबलपुर (म. प्र.).
2. श्री राम स्वयंबर त्रिपाठी
पता—बाल्मीकि सदन, गली नं. 02, राजेन्द्र नगर,
जिला सतना (म. प्र.).

2. अधिनियम की धारा 25 (1) (चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रख्यात प्रगतिशील कृषक :—

1. श्री सतेन्द्र गोटिया
पता—रामजानकी मंदिर के सामने, ग्राम झालन,
तहसील शाहपुरा, जिला जबलपुर (म. प्र.).
2. श्री संजीव कुमार खेर
पता—वार्ड क्रमांक 03, इन्द्रपुरी कालोनी,
जिला पन्ना (म. प्र.).

3. अधिनियम की धारा 25 (1) (पांच) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति से जुड़ी प्रख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता :—

1. श्रीमती मयंका गुप्ता
पता—वार्ड नं. 07, गोविंद गढ़ी, पहल वाटिका के सामने, खजुराहो,
जिला छतरपुर (म. प्र.).

4. धारा 25 (1) (छ:) के अंतर्गत पशु पालन क्षेत्र में शोध / शिक्षा का अनुभव वाला एक प्रख्यात पशुपालन वैज्ञानिक :—

- डॉ. आदित्य मिश्रा
डीन स्टूडेंट वेलफेयर, प्रो. एण्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी
फिलियोलॉजी एण्ड बायोकेमेस्ट्री,
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय,
जिला जबलपुर (म. प्र.).

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.